

Email 20/11/2016

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612-2219116(का०)

फैक्स न०-0612-2218900

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.blh@nic.in

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-01(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, द्वारा 40.00 लाख पत्रांक-89(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 22.08.2016 द्वारा 500.00 लाख पत्रांक-103(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 द्वारा 1500.00 लाख पत्रांक-42/आ0प्र0, दिनांक 10.09.2016 द्वारा 800.00 लाख एवं पत्रांक-124/आ0प्र0, दिनांक 19.09.2016 द्वारा 500.00 लाख एवं पत्रांक-136 (स0अनु0)/आ0प्र0, पटना दिनांक 19.10.2016 द्वारा 1.50 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि-लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत-उपशीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड-एन2245021010001 मद में कुल-3490.00 लाख (तीन हजार चार सौ नब्बे लाख) का आवंटन प्राप्त हुआ इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-657/आ0प्र0, दिनांक 30.07.2016, आदेश ज्ञापांक-939/आ0प्र0, दिनांक 28.08.2016 एवं आदेश ज्ञापांक 989/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 तथा आदेश ज्ञापांक-1015/आ0प्र0, दिनांक 06.09.2016, आदेश ज्ञापांक-1052/आ0प्र0, दिनांक 11.09.2016, आदेश ज्ञापांक-1061/आ0प्र0, दिनांक 14.09.2016, आदेश ज्ञापांक-1085/आ0प्र0, दिनांक 17.09.2016 आदेश ज्ञापांक-1092/आ0प्र0, दिनांक-19.09.16, आदेश ज्ञापांक-1121/आ0प्र0, दिनांक 27.09.2016 एवं आदेश ज्ञापांक-1208/आ0प्र0, पटना दिनांक 18.10.2016 द्वारा कुल-3220.00 लाख (तीन हजार दो सौ बीस लाख) रुपये पटना जिले के बाढ़ प्रभावित अंचलों को उपावटित किया जा चुका है।

उक्त मद में सुरक्षित आवंटन मो0- 120.00 लाख एवं संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक-136 (स0अनु0)/आ0प्र0, पटना दिनांक 19.10.2016 द्वारा प्राप्त आवंटन 150.00 (एक सौ पचास लाख) रुपये कुल मो0-270.00 (दो सौ सत्तर लाख) रुपये संबंधित अंचलाधिकारी, पटना जिला को निम्नरूपेण उपावटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-39

विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

क्र०	अंचलाधिकारी का नाम	2245-02-101-0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड-एन2245021010001 विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा		
		पूर्व उपावटित राशि	वर्तमान उपावटित राशि	कुल योग
01	02	03	04	05
1	अंचलाधिकारी, दानापुर	30000000.00	6125000.00	36125000.00
2	अंचलाधिकारी, मनेर	52250000.00	6125000.00	58375000.00
3	अंचलाधिकारी, पटना सदर	25000000.00	--	25000000.00
4	अंचलाधिकारी, पुनपुन	12750000.00	7500000.00	20250000.00
5	अंचलाधिकारी, फतुहौ	25000000.00	--	25000000.00
6	अंचलाधिकारी, दनियावाँ	250000.00	--	250000.00
7	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर	10700000.00	--	10700000.00
8	अंचलाधिकारी, अथमलगोला	46000000.00	--	46000000.00
9	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर	54000000.00	6000000.00	60000000.00
10	अंचलाधिकारी, वेलछी	300000.00	--	300000.00
11	अंचलाधिकारी, पंडारक	300000.00	--	300000.00
12	अंचलाधिकारी, घोषवरी	200000.00	--	200000.00
13	अंचलाधिकारी, मोकामा	20000000.00	--	20000000.00
14	अंचलाधिकारी, बाढ़	6000000.00	--	6000000.00
15	अंचलाधिकारी, सम्पतचक	7500000.00	--	7500000.00
16	अंचलाधिकारी, धनरूआ	20000000.00	1250000.00	21250000.00
17	अंचलाधिकारी, नौबतपुर	8750000.00	--	8750000.00
18	अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ	3000000.00	--	3000000.00
	उप आवंटित राशि	322000000.00	27000000.00	349000000.00
	जिला में सुरक्षित			शून्य
	कुल योग			349000000.00

Sharma

he

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612-2219116(का०)

फैक्स न०-0612-2218900

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

- (1) इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड- एन2245021010001 मद में वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक-ब-16/बी0सी0एफ0-55/2016/35सी0एफ0, दिनांक 05.08.2016 एवं ज्ञापांक-ब-16/बी0सी0एफ0-55/2016/45सी0एफ0, दिनांक 31.08.2016 तथा क्रमशः विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-2962/आ0प्र0, दिनांक 05.08.2016 एवं 3923/आ0प्र0, दिनांक 01.09.2016, उपशीर्ष-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति मद में वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक-ब-16/बी0सी0एफ0/2016/36सी0एफ0, दिनांक 05.08.2016 एवं ज्ञापांक-ब-16/बी0सी0एफ0-55/2016/44सी0एफ0, दिनांक 31.08.2016 तथा क्रमशः विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-2963/आ0प्र0, दिनांक 05.08.2016 एवं 3296/आ0प्र0, दिनांक 01.09.2016 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।
- (2) यह आवंटन बाढ़ के मददेनजर बाढ़ प्रभावित अंचल को नियमानुसार नगद अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार चक्रवात के मददेनजर भी किया जा सकता है। अनुरोध है कि राशि के 75 प्रतिशत व्योपरान्त ही अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जाय।
- (3) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य में मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (4) आपदा प्रभावित परिवारों को देय नगद अनुदान राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1432/आ0प्र0, दिनांक 04.04.2016 एवं 1642/आ0प्र0, दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (5) आवंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (6) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
- (7) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (8) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
- (9) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561बी0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-02-101-0001-निःसहायों एवं विकलांगों के अन्तर्गत व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय।
- (10) इस राशि को व्यय करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित हो लें कि लाभुकों का चयन मानक संचालन प्रक्रिया में वर्णित नियमों के अनुसार किया गया है। किसी भी अपात्र व्यक्ति को भुगतान की स्थिति में अंचलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
अनुलग्नक-मूल आवंटन पत्र की प्रति।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पटना।

Shankar

he

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612-2219116(का०)

फैक्स न०-0612-2218900

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

ज्ञापांक.....1349...../आ0प्र0, दिनांक 03/11/2016

प्रतिलिपि:- संबंधित अंचलाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से पुरे वितरण प्रक्रिया का सत्त रूप से अनुश्रवण करेंगे ताकि किसी अपात्र व्यक्ति को राशि का भुगतान न हो।

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी, दानापुर, एवं बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक-01(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, पत्रांक-89(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 22.08.2016 एवं पत्रांक-103(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 तथा पत्रांक-42/आ0प्र0, दिनांक 10.09.2016 एवं पत्रांक-124 दिनांक-19.09.16 एवं 136(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 19.10.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Shashi

Gian
3/11/16
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ई - मेल

जिला आपदा प्रबंधन विभाग

OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE, PATNA
19 OCT 2015
CONFIDENTIAL SECTION

प्रेषक
अनिरुद्ध कुमार
संयुक्त सचिव।

सेवा में
जिला पदाधिकारी,
भागलपुर/कटिहार/सारण/मुंगेर/पटना/भोजपुर/बेगूसराय/लखीसराय/समस्तीपुर

विषय- पटना-15, दिनांक- 19/10/15
वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-
घक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001-निसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान,
कोड - N2245021010001 मद में ₹3000.00 लाख, 0002- खाद्यान्न की आपूर्ति विपन्न कोड-N2245021010002 म
₹2650.00 लाख, लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण वि
कोड-N2245021120002 मद में ₹200.00 लाख कुल ₹ 5850.00 लाख (अनठावन करोड़ पचास लाख रुपये) आवंट
की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।
2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ घक्रवात आदि के लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण मद में मूल बजट उपबंध तथा गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ घक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001-निसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान मद में वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापक - ब-16/ बी0सी0एफ0-55/2016/35 सी0एफ0 दिनांक -05.08.16 एवं ज्ञापक - ब-16/ बी0सी0एफ0-55/2016/35 सी0एफ0 दिनांक -31.08.16 तथा क्रमशः विभागीय स्वीकृत्यदेश संख्या -2962/आ0प्र0 दिनांक -05.08.16 एवं 3923/आ0प्र0 दिनांक 01.09.16, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति मद में वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापक - ब-16/ बी0सी0एफ0-55/2016/36 सी0एफ0 दिनांक -05.08.16 एवं ज्ञापक - ब-16/ बी0सी0एफ0-55/2016/44 सी0एफ0 दिनांक -31.08.16 तथा क्रमशः विभागीय स्वीकृत्यदेश संख्या -2963/आ0प्र0 दिनांक -05.08.16 एवं 1296/आ0प्र0 दिनांक 01.09.16 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि में स्वीकृत राशि से दिकलनीय होगा।
3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी उपशीर्षवार/विषयशीर्षवार निम्न प्रकार है :

मांग संख्या- 39

(राशि रुपये लाख में)

क्र.सं.	जिला का नाम	2245-02-101-0001- निसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान N2245021010001 विषय शीर्ष- 31 08- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा			2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति N2245021010002 विषय शीर्ष- 31 08- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा			2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण N2245021120002 विषय शीर्ष- 31 08- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा			आवंटन का कुल योग		
		अधियाचित राशि	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	अधियाचित राशि	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	अधियाचित राशि	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	अधियाचित राशि	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	भागलपुर	5760.000	3160.000	500.000	5760.000	3175.360	500.000	930.000	330.000	100.000	12450.000	6665.360	1100.000
2	कटिहार	6293.760	5317.280	400.000	6293.760	5326.320	400.000	0.000	130.000	0.000	12587.520	10773.610	800.000
3	सारण	3000.000	1720.000	400.000	3000.000	1798.000	400.000	355.000	90.000	50.000	6355.000	3608.000	850.000
4	मुंगेर	1760.000	1550.000	100.000	1871.120	1771.120	100.000	0.000	150.000	0.000	3621.120	3471.120	200.000
5	पटना	3640.000	3340.000	150.000	3647.000	3395.560	160.000	0.000	180.000	0.000	7287.000	6895.560	300.000
6	भोजपुर	2320.000	1820.000	200.000	2586.760	2066.760	200.000	0.000	301.210	0.000	4886.760	4187.960	400.000
7	बेगूसराय	265.000	1880.000	350.000	0.000	2255.560	0.000	555.000	140.000	50.000	820.000	4055.560	400.000
8	लखीसराय	2540.000	220.000	500.000	1733.430	222.890	500.000	0.000	40.000	0.000	4273.430	482.890	1000.000
9	समस्तीपुर	2471.880	1280.000	400.000	2471.880	1326.150	400.000	0.000	92.780	0.000	4943.760	2878.910	800.000
	कुल योग	28040.640	20047.290	3000.000	27343.940	21335.720	2660.000	1840.000	1433.970	200.000	57224.580	42816.980	5850.000

4. यह आवंटन बाढ़ के मद्देनजर जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 942 दिनांक-03.10.16/कटिहार के पत्रांक 1107 दिनांक 20.09.16 /सारण के पत्रांक 863 दिनांक 26.09.16/मुंगेर के ज्ञापक 584 दिनांक 26.09.16/पटना के पत्रांक 1068 दिनांक 15.09.16 एवं 1069 दिनांक 15.09.16/भोजपुर के पत्रांक 528 दिनांक 15.09.16 एवं 529 दिनांक 15.09.16/बेगूसराय के पत्रांक 762 दिनांक 26.09.16 एवं 765 दिनांक 26.09.16/लखीसराय के पत्रांक 465 दिनांक 15.10.16/समस्तीपुर के पत्रांक 1025 दिनांक 26.09.16 द्वारा की गई अधियाचना तथा उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निम्न किया जा रहा है। अनुबंध है कि राशि के शतप्रतिशत व्ययपरान्त ही अतिरिक्त राशि को अधियाचना की जाए।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

5860/C
20-10-2016

